न्यायालयः अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 समक्ष डी०सी०थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 66 / 14 वैवाहिक

आवेदक द्वारा श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता । अनावेदिका एक पक्षीय ।

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 29—1—16 को घोषित किया गया //

- 01. याचिकाकर्ता / आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है जिसमें याचिकाकर्ता / आवेदक ने प्रतियाचिकाकर्ता / अनावेदिका के साथ सम्पन्न हुआ विवाह वर्ष 2005 को विघटित किये जाने का निवेदन करते हुये याचिका पेश की है।
- 02. यह अविवादित है कि प्रतियाचिकाकर्ता/अनावेदिका याचिकाकर्ता/आवेदक की विवाहिता पत्नी है।
- 03. याचिकाकर्ता / आवेदक का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक की शादी अनावेदिका के साथ आज से 7 वर्ष पूर्व विधिवत् हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुयी थी। शादी के दो वर्ष तक अनावेदिका आवेदक के साथ बतोर पत्नी आवेदक के घर ग्राम लहचूरे का पुरा में रही और दो वर्ष बाद कहने लगी कि उसे गांव में अच्छा नहीं लगा तुम अपने पिता की जायदाद को बेच कर मेरे पिता के घर के पास नाका चन्द्रवदनी पर मेरे नाम से मकान खरीद कर मेरे साथ रहो। आवेदक ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया इस पर

अनावेदिका आवेदक व उसके माता पिता से लडने झगडने लगी। इस पर आवेदक ने अनावेदिका के भई दीपू को बुलबाया और समझाने की पूरी कोशिश की लेकिन अनावेदिका फिर भी ठीक ढंग से रहने को तैयार नहीं हुयी। अनावेदिका बिना कहे घर से चली जाती और अपने पिता के घर जाकर आवेदक को फोन पर धोंस देती रहती कि तेरे साथ नहीं रहूंगी रहना है तो मेरे साथ आकर ग्वालियर में रहो। दिनांक 14–1–12 को आवेदक से लडकर घर का पूरा पहिनने का जेबर लेकर अनावेदिका ग्वालियर चली गयी तब से अनावेदिका आवेदक के घर नहीं आयी। अनावेदिका दो वर्ष से अधिक समय से आवेदक का स्थायी रूप से परित्याग कर चुकी है, वह आवेदक के साथ नहीं आना चाह रही है।

- 04. इसके अतिरिक्त आवेदक के द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि अनावेदिका रामिसया पुत्र वटूरी जाटव निवासी ग्राम बिरखडी के साथ स्वेच्छया पूर्वक स्वच्छद रूप से विचरण करने लगी है और उसी के साथ रहने लगी है। इस प्रकार अनावेदिका आवेदक से भिन्न व्यक्ति के साथ मेथुन करने लगी है। अनावेदिका के गुमने के संबंध में गुमइन्सानी रिपोर्ट दिनांक 22—9—13 को आवेदक द्वारा थाना मालनपुर पर दर्ज करायी गयी है। इस प्रकार वह पर पुरूष रामिसया के साथ स्वेच्छयापूर्वक रह रही है। आवेदक ग्राम लहचूरे पुरा गोहद का निवासी होने से न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होना बताते हुये अनावेदिका के साथ हुये विवाह को विच्छेदित किये जाने की डिकी प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।
- 05. आवेदक की ओर से पेश आवेदनपत्र में किए गए अभिवचनों को इन्कार करते हुए यह बताया है कि वह आवेदक के साथ रहने को तैयार है, किन्तु आवेदक उसके साथ क्रूरता का व्यवहार कर मारपीट करता है और उसे बात बात पर घर से निकाल देता है और उसके भरण पोषण की व्यवस्था भी नहीं करता है, जिससे मजबूर होकर वह अपने पिता के घर रह रही है। दिनांक 14.01.2012 को वह आवेदक के घर से स्वयं नहीं गई, बिल्क आवेदक के द्वारा निकाल जाने पर और उसे मजबूर करने पर वह अपने पिता के यहाँ रहने लगी। आवेदक के द्वारा उसके चित्रत्र पर गलत रूप से लांक्षन लगाया जा रहा है, जबिक वह चित्रवान और सुशील है। वह आवेदक के साथ हसी खुशी से रहने को तैयार है। आवेदक के द्वारा स्वयं उसका परित्याग किया गया है, उसने आवेदक का कोई परित्याग नहीं किया है। ऐसी दशा में याचिका निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।
- 06. अनावेदिका के द्वारा प्रकरण में सूचनापत्र जारी होने के पश्चात् अधिवक्ता सिहत उपस्थित हुई और उसके द्वारा अपना जबावदावा पेश किया गया जो कि साक्ष्य की स्टेज पर दिनांक 19.01.2016 को वह अनुपस्थित हो गई। जिस कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।
- 07. उभय पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्न वादप्रश्नों की रचना की गई जिनके

समक्ष निकाले गए निष्कर्ष लेख है।

राचा । जिल्ला एवं ए		
क.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या अनावेदिका आवेदक के साथ रहने से बिना युक्तियुक्त एवं पर्याप्त कारण से इन्कार किया जा रहा है?	
2	क्या अनावेदिका के द्वारा दो वर्ष से अधिक समय से आवेदक का परित्याग किया गया है?	
3	क्या अनावेदिका के द्वारा अपने पति आवेदक से भिन्न व्यक्ति के साथ मैथुन में रत रही है?	
4	क्या आवेदक अनावेदिका से विवाह विच्छेद करा पाने का अधिकारी है?	
5	सहायता एवं व्यय?	

//निष्कर्ष के आधार//

विचारणीय बिन्दु कमांक 1,2 :— आवेदक सुरेश आ0सा01 ने अपने याचिका के समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र में अभिवचनों का समर्थन करते हुये बताया है उसकी शादी अनावेदिका के साथ आज से 7-8 वर्ष पूर्व विधिवत् हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुयी थी। शादी के दो वर्ष तक अनावेदिका आवेदक के साथ बतोर पत्नी आवेदक के घर ग्राम लहचूरे का पुरा में रही और दो वर्ष बाद कहने लगी कि उसे गांव में अच्छा नहीं लगा तुम अपने पिता की जायदाद को बेच कर मेरे पिता के घर के पास नाका चन्द्रवदनी पर मेरे नाम से मकान खरीद कर मेरे साथ रहो। आवेदक ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया इस पर अनावेदिका आवेदक व उसके माता पिता से लंडने झगडने लगी। इस पर आवेदक ने अनावेदिका के भाई दीपू को बुलबाया और समझाने की पूरी कोशिश की लेकिन अनावेदिका फिर भी ठीक ढंग से रहने को तैयार नहीं

हुयी। अनावेदिका बिना कहे घर से चली जाती है और अपने पिता के घर जाकर आवेदक को फोन पर धोंस देती रहती कि तेरे साथ नहीं रहूंगी रहना है तो मेरे साथ आकर ग्वालियर में रहो। दिनांक 10–1–12 को आवेदक से लड़कर घर का पूरा पहिनने का जेबर लेकर अनावेदिका ग्वालियर चली गयी तब से अनावेदिका आवेदक के घर नहीं आयी।

- 09. गैरयाचिकाकर्ता की याचिकाकर्ता के विवाहिता पत्नी होने का जहाँ तक प्रश्न है, यह तथ्य अविवादि है। इस प्रकार दोनों का विवाह होना और उनके वैवाहिक संबंध रहना प्रमाणित है।
- 10. आवेदक सुरेश आ0सा0 1 के द्वारा स्पष्ट रूप से अपने साक्ष्य कथन में जनवरी, 2012 से अनावेदिका उसे छोड़कर पृथक से रहने के संबंध में बताया है जो कि याचिका दिनांक 16. 09.2014 को पेश हुई है। आवेदक का कोई भी प्रतिपरीक्षण उपरोक्त बिन्दु पर नहीं हुआ है। इस प्रकार इस बिन्दु पर आवेदक का कथन अखण्डनीय रहा है कि अनावेदिका स्वेच्छया उसका परित्याग कर उसके घर से चली गई है और दो वर्षों से अधिक समय से वह उसे परित्याग किये हुए है।
- 11. आवेदक के द्वारा किये गये साक्ष्य कथन की पुष्टि आवेदक की ओर से पेश साक्षी रामस्वरूप आवेदक साक्षी कं02 और रामदीन आवेदक साक्षी कं03 के कथनों से भी होती है उन्होंने भी अपने साक्ष्य कथन में आवेदक की शादी आज से 7—8 साल पूर्व अनावेदिका के साथ में समाज में प्रचलित प्रथा के अनुसार सम्पन्न हुयी थी इस कारण आवेदक की अनावेदिका विवाहिता पत्नी है । शादी के बाद करीबन 2 साल तक अनावेदिका आवेदक के साथ में ठीक रही लेकिन उसके बाद आवेदक से अनावेदिका कहने लगी कि तुम अपने पिता की जायदाद बेचकर उसके मायके ग्वालियर आकर मकान लेकर रहो इस बात पर अनावेदक ने इन्कार कर दिया और अनावेदिका सारे जेवरात लेकर अपने पिता के घर दो साल से अधिक समय से रह रही है । आवेदक उसे लेने गया तो उसने आने से इन्कार कर दिया । अनावेदिका अब रामिसया जाटव निवासी बिडखडी के साथ में पत्नी के रूप में रह रही है और आवेदक को दो साल से पत्नी के सुखों से बंचित किये हुये है। उक्त साक्षीगण का कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है इस प्रकार उक्त साक्षीगण के कथन अखण्डनीय रहे हैं।
- 12. इस प्रकार आवेदिका पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य जो कि अखण्डनीय रही है। जिसमें आवेदक एवं उसके साक्षियों के द्वारा स्पष्ट तौर से अनावेदिका के द्वारा आवेदक का परित्याग पिछले दो वर्ष से करने एवं उसके द्वारा वैवाहिक संबंधों की स्थापना नहीं की जा रही है और और उसके द्वारा किये गये प्रयास के बाद भी अनावेदिका आवेदक के साथ वैवाहिक संबंधों की स्थापना नहीं कर रही है और उसका परित्याग कर युक्तियुक्त एवं पर्याप्त कारणों के बिना आवेदक के साथ रहने से इन्कार किया जा रहा है। तद्नुसार बिन्दु कमांक 1 व 2 का

निराकरण कर उत्तर 'हाँ' में दिया जाता है।

बिन्द् क्रमांक 3:-

- 13. वर्तमान बिन्दु के संबंध में आवेदक सुरेश आ०सा० 1 के द्वारा अपने शपथपत्र साक्ष्य कथन में बताया है कि अनावेदिका रामिसया पुत्र बटूरी जाटव निवासी बिरखडी के साथ स्वेच्छया पूर्व स्वछंद रूप से विचरण करने लगी है और उसके साथ ही रह रही है और इस प्रकार वह अन्य व्यक्ति से मैथुन करने लगी है। इसी प्रकार इस बिन्दु पर साक्षी रामस्वरूप और रामदीन आवेदक साक्षी क्रमांक 2 व 3 के द्वारा भी अनावेदिका के बिरखडी में रामिसया के साथ पत्नी के रूप में रहना बताया है।
- 14. उपरोक्त संबंध में जहाँ तक प्रश्न है, आवेदक पक्ष के द्वारा कोई भी दस्तावेजी प्रमाण या ग्राम विरखडी या उसके आसपास रहने वाले किसी भी व्यक्ति का कोई कथन नहीं कराया गया है जिससे कि अनावेदिका रामिसया के यहाँ पत्नी के रूप में रहने अथवा उसका रामिसया के साथ मैथुन संबंध होने की पुष्टि होती हो। इस प्रकार प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर उक्त बिन्दु प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। वर्तमान बिन्दु अप्रमाणित रहता है। तद्नुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण किया जाता है।

बिन्दू क्रमांक 04:-

15. प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना एवं विन्दुओं पर निकाले गए निष्कर्ष से यह प्रमाणित होना पाया गया है कि अनावेदिका / गैरयाचिकाकर्ता के द्वारा आवेदक / याचिकाकर्ता को वर्तमान याचिका पेश करने के दो वर्ष पूर्व से परित्याग किया है जो कि अनावेदिका बिना किसी युक्तियुक्त एवं पर्याप्त कारण से आवेदक के साथ रहने से इन्कार कर उसके द्वारा स्वेच्छया पूर्वक आवेदक का उसके द्वारा इस प्रकार परित्याग किया गया है जो कि धारा 13(1)(1—ख) हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह विच्छेद का आधार है और इस आधार पर आवेदक अनावेदिका से विवाह विच्छेद करा पाने का अधिकारी रहेगा। आवेदक अनावेदिका को जो कि उसकी विवाहिता पत्नी है स्थाई भरण पोषण के रूप में 20000 / — रूपए अदा करे। तद्नुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर हाँ में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 5:-

- 16. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत वर्तमान याचिका स्वीकार करते हुए इस संबंध में निम्न आशय की आज्ञप्ति पारित की जाती है :—
 - 1. आवेदक और अनावेदिका के मध्य सम्पन्न हुआ विवाह को विच्छेदित किया जाता है। आवेदक अनावेदिका वैवाहिक संबंधों से मुक्त रहेगे।
 - 2. प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों में उभयपक्षकार अपना अपना वाद व्यय स्वयं

वहन करेगें।

- 3. अनावेदिका / गैरयाचिकाकर्ता को आवेदक जो कि उसकी विवाहिता पत्नी है स्थाई भरण पोषण हेतु 20000 / रूपए की राशि प्रदान करेगा।
- 4. अभिभाषक शुल्क सूची मुताबिक या प्रमाणपत्र के अनुसार जो भी कम हो देय होगा।

तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जाय ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया

(डी०सी०थपलियाल) अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म०प्र० (डी०सी०थपलियाल) अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म०प्र०